न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बरोडी

प्रकरण संख्या0 22/22

1. मुन्शीलाल पुत्री श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बोरेली तह0 बरोडी जिला धौलपुर राजस्थान (दौराने दावा फौत)

1/1 विवेकानन्द पुत्र मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

1/2 विमलेश पुत्री मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

1/3 गुड़िया उर्फ अनुराधा पुत्री मुशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

1/4 सुनीता पुत्री मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

1/5 रैनु पुत्री मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

1/6 मनीषा पुत्री मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

.... **वादीगण**

बनाम

1. अवधेश पुत्र ब्रजकिशोर
2. केशव सिंह पुत्र रामगोपाल
3. लोगश्री पत्नी ब्रजकिशोर
4. संजय पुत्र ब्रजकिशोर
5. सत्यप्रकाश पुत्र रामगोपाल
6. सोनू पुत्र ब्रजकिशोर

(1 से 6) जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बोरेली तह0 बसेडी जिला धौलपुर राजस्थान

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी व हैसियत भू–स्वामी

.... **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

वकील वादी –श्री दिलीप शर्मा एड0

वकील प्रतिवादीगण – श्री अमित शर्मा एड0

दिनांक 21.11.2025

निर्णय

हस्तगत प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188, आर.टी.एक्ट इन तत्थो के साथ प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त कृषि योग्य आराजी स्थित ग्राम बोरेली तहसील बसेड़ी के परिशिष्ट ''अ'' के खसरा नम्बर कमशः 677, 682, 684, 685 रकवा कमशः 0.0600, 1.2300, 0.3400, 0.3400 हैक्टैयर कुल किता 4 कुल रकवा 1.9700 हैक्टैयर, परिशिष्ट ''ब'' के खसरा नम्बर कमशः 1079, 1086, 1109/1, 1672, 1870,2468, 2603, 2606, 2622 रकवा कमशः 0.2900, 0.2500, 0.2000, 0.3200, 0.2400, 0.3200, 0.4100, 0. 2400, 0.0100 हैक्टैयर कुल किता 9 कुल रकवा 2.2800 हैक्टैयर व परिशिष्ट ''स'' के खसरा नम्बर 1078,1109/2, 1885, रकवा कमशः 0.2700, 0.2200, 0.3800 कुल किता 3 कुल रकवा 0.8700 हैक्टैयर व परिशिष्ट''द'' के खसरा नम्बर 272 रकवा 0.7600 हैक्टैयर कुल किता 1 कुल रकवा 0.7600 हैक्टैयर है उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी के खातेदार कास्तकार वादी व प्रतिवादीगण है। वादी व प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर व हैसियत खातेदार कास्तकार काबिज होकर संयुक्त रूप से कास्त करते चले आ रहे है। विवादग्रस्त आराजी में वादी भी खातेदार कास्तकार है लेकिन विरासत के नामान्तकरण के बाद उपरोक्त वादी का नाम

21.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जमाबन्दी में आ गया था लेकिन हाल जमाबन्दी में रह गया है व विवादग्रस्त आराजी में खातेदार कम्पूरी पत्नी रामगोपाल का निधन हो गया है उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे। विवादग्रस्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण में कास्त करने में हुए खर्चे, बीज, वगैराह के ऊपर आपस में विवाद होता रहता है व जिसके कारण अब सम्मिलित रूप से कास्त करना संभव नही रहा है। दिनांक 15.12.2021 को वादी विवादग्रस्त आराजी की देख – रेख कर रहा था कि प्रतिवादीगण आये और वादी को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल कर विवादित आराजी पर बिना बटवारा करवाये अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य करने की धमकी दी। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह जरिये न्यायालय विवादग्रस्त आराजी का बटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कराकर लगान व खाता जरिये माप व सीमांकन पृथक–पृथक कायम कराकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह वादी के कब्जे कास्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नही करे। उपरोक्त अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति धन से किसी प्रकार संम्भव नही हो सकेगी। वाद कारण दिनाक 15.12.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने की धमकी देने पर पैदा हुआ जो आज भी जारी है।

अन्त में वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:–

विवादित आराजी में कम्पूरी पत्नी रामगोपाल के स्थान के वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे व परिशिष्ट ''अ'' कि आराजी में वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। विवादित आराजी का बटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर लगान व खाता पृथक–पृथक कायम किया जाकर वादी का विवादित अराजी पर एकांतिक आधिपत्य कराया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की माहमत व मदाखलत बेजा नही करें और नहीं किसी नोकर या एजेन्ट द्वारा करावें और विवादित अराजी को बिना बटवारा कराये किसी दीगर व्यक्ति को रहनवय मुंतकिल नही करे। अन्य अनुतोष जो न्याय संगत व वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की आरे से श्री अमित शर्मा एड0 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत किया दौराने विचारन वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. का खसरा नम्बर क्रमशः 677 , 642, 684, 685, रकवा क्रमशः 0.0600, 1.2300, 0.3400, 0.3400, हैक्टैयर स्थित ग्राम बोरेली के खातेदारान प्रतिवादी संख्या 7 लगा0 22 के खिलाफ उक्त खसरा नम्बरान सहित दावा वादी विड्रो करने की अनुमति चाही जो दिनांक 22.12.2023 को स्वीकार किया जाकर उक्त खसरा नम्बरो व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 22 के खिलाफ दावा विड्रो करने की दी गई वह दिनांक 08.01.2024 को वादी व प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य वादी के स्थान पर विवादित आराजी के बावत् दावा वादी को अच्छे में से अच्छे व बुरे में से बुरे (बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड) के आधार पर सीधे ही प्राथमिक डिक्री किया जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बसेड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए विवादग्रस्त कृषि योग्य विवादग्रस्त कृषि योग्य आराजी स्थित ग्राम बोरेली तहसील बसेड़ी के परिशिष्ट ''ब'' के खसरा नम्बर क्रमशः 1079, 1086, 1109/1, 1672, 1870,2468, 2603, 2606, 2622 रकवा क्रमशः 0.2900, 0.2500, 0.2000, 0.3200, 0.2400, 0.3200, 0.4100, 0.2400, 0.0100 हैक्टैयर कुल किता 9 कुल रकवा 2.2800 हैक्टैयर व परिशिष्ट ''स'' के खसरा नम्बर 1078,1109/2, 1885, रकवा क्रमशः 0.2700, 0.2200, 0.3800 कुल किता 3 कुल रकवा 0.8700 हैक्टैयर व परिशिष्ट''द'' के खसरा नम्बर 272 रकवा 0.7600 हैक्टैयर कुल किता 1 कुल रकवा 0.7600 हैक्टैयर में पक्षकारान मुकदमा की उपस्थिति में राजस्थान

2.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्येक कुर्रे में लगान की फैलावट आदि नियमों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव चाहे गये।

दौराने दावा वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सि.प्र.सं. प्रस्तुत किया कर दौराने दावा वादी के फौत होने पर उसके विधिक वारिसानों को रिकॉर्ड पर लाने बावत निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर वादी के विधिक वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति दी गई। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सि.प्र.सं. के परिणामस्वरूप वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया।

तहसीलदार बसेड़ी ने अपने पत्रांक/भू.अभि./2025/1302 दिनांक 30.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस विभाजन प्रस्ताव वकीलवादी की एक पक्षीय सुनी वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी बाबत तकासमा आराजी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त में निम्नानुसार रहेगी एवं रहन का अंकन यथावत रहेगा।

राजस्व गाव व खाता संख्या	क्र.स.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म	लगान
बौरेली	1	मुन्शीलाल पुत्र रामगोपाल जाति ब्रा0 सा. खातेदार	1086 1870 2468 2606/1	0.2500 है0 0.2400 है0 0.3200 है0 0.0700 है0	चा0प्र0 न0प्र0 न0प्र0 न0प्र0	30 22 22 6.41
			कुल किता 4	0.8800 है0	—	80.41
	2	अवधेश पुत्र ब्रजकिशोर हि. 53/240, संजय पुत्र ब्रजकिशोर हि. 53/240, सोनू पुत्र ब्रजकिशोर हि. 53/240, लोंगश्री पत्नी ब्रजकिशोर हि. 1/16, केशवदेव पुत्र पुत्र रामगोपाल 1/40, सत्यप्रकाश पुत्र रामगोपाल हि. 1/4 जाति ब्राह्मण सा. खातेदार।	1079 1109/1 1672 2603 2606/2 2622	0.2900 है0 0.2000 है0 0.3200 है0 0.4100 है0 0.1700 है0 0.0100 है0	चा0प्र0 चा0प्र0 चा0प्र0 न0प्र0 न0प्र0 चा0प्र0	30 30 30 22 18.5 34
			कुल किता 6	1.4000 है0	—	164.5
	3	अवधेश पुत्र ब्रजकिशोर हि. 73/300, संजय पुत्र ब्रजकिशोर हि. 73/300, सोनू पुत्र ब्रजकिशोर हि. 73/300, लोंगश्री पत्नी ब्रजकिशोर हि. 1/20, केशवदेव पुत्र पुत्र रामगोपाल 1/50, सत्यप्रकाश पुत्र रामगोपाल हि. 1/5 जाति ब्राह्मण	1078 1109/2 1858	0.2700 है0 0.2200 है0 0.3800 है0	चा0प्र0 चा0प्र0 न0प्र0	30 30 22
			कुल किता 3	0.8700 है0	—	82

24.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज

Scanned with OKEN Scanner

		सा. खातेदार।				
बौरेली	4	मुन्शीलाल पुत्र रामगोपाल जाति ब्रा0 सा. खातेदार	272/1	0.1900 है0	बा0दो0	1.14
			कुल किता 1	0.1900 है0	–	1.14
	5	अवधेश पुत्र ब्रजकिशोर हि. 1/12, संजय पुत्र ब्रजकिशोर हि. 1/12, सोनू पुत्र ब्रजकिशोर हि. 1/12, लोगश्री पत्नी ब्रजकिशोर हि. 1/12, केशवदेव पुत्र पुत्र रामगोपाल 1/3, सत्यप्रकाश पुत्र रामगोपाल हि. 1/3 जाति ब्राह्मण सा. खातेदार।	272/2	0.5700 है0	बा0दो0	3.42
			कुल किता 1	0.5700 है	–	3.42

आज दिनांक 21.11.2025 को यह फैसला मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.25

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिकी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedur coud appendix D-1)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

मुंशीलाल बनाम अवधेश बगैरा

विस्तृत उनवान पुस्त पर दर्ज है
दावा बावत् अधीन

अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 22/22

वादीगण की की ओर से श्री दिलीप शर्मा एडवोकेट की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 21.11.2025 को सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी मुताविक कुर्रे कायमी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि बौरेली तहसील बसेड़ी में विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त बौरेली तहसील बसेडी में निम्नानुसार रहेगी एवं रहन का अंकन यथावत रहेगा। विभाजन प्रस्ताव डिकी का अभिन्न अगं रहेगे।

21.11.25
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी
उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी (धौलपुर) राज.

वादी		प्रतिवादी	
	रूपये		रूपये
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4.......रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	–	–	–
जोड		जोड	

21.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी
उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी (धौलपुर) राज

Scanned with OKEN Scanner

डिकी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

मुंशीलाल बनाम अवधेश बगैरा

1. मुन्शीलाल पुत्री श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बोरेली तह0 बसेडी जिला धौलपुर राजस्थान (दौराने दावा फौत)

1/1 विवेकानन्द पुत्र मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

1/2 विमलेश पुत्री मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

1/3 गुड़िया उर्फ अनुराधा पुत्री मुशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

1/4 सुनीता पुत्री मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

1/5 रैनु पुत्री मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

1/6 मनीषा पुत्री मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बौरेली तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

.... **वादीगण**

बनाम

1. अवधेश पुत्र ब्रजकिशोर
2. केशव सिंह पुत्र रामगोपाल
3. लोगश्री पत्नी ब्रजकिशोर
4. संजय पुत्र ब्रजकिशोर
5. सत्यप्रकाश पुत्र रामगोपाल
6. सोनू पुत्र ब्रजकिशोर

} जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बोरेली तह0 बसेडी जिला धौलपुर राजस्थान

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी व हैसियत भू–स्वामी

.... **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी–सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

[signature] 21.11.25

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी

उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner